

मांग संख्या 01
मुख्य शीर्ष 2012

मद क्रमांक 1 से 2

वाहनों के ईंधन एवं आकस्मिक व्यय मद हेतु ₹10.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2013

मद क्रमांक 3

स्वेच्छानुदान हेतु आकस्मिकता निधि से ₹500.00 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया है एवं ₹1500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹5,00,00,000 सहित ₹20,00,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 4

विधि व्यय के भुगतान हेतु ₹300.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4059

मद क्रमांक 5

आवासीय आयुक्त कार्यालय छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली के भवन पर ₹267.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹2,67,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4070

मद क्रमांक 6

आवासीय आयुक्त कार्यालय छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली हेतु 3 नवीन वाहन क्रय करने हेतु ₹40.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।